2025/603

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार धोद बनाम इन्द्रसिंह मु.नं. 8/16 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा 131, 132 LR

दिनांक	आज्ञा - पत्र
11/08/25	तहशीलदार, धोद के पत्रांक भू.अ. / 2025 / 1407 दिनांक 16.07.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम दुगोली पटवार हल्का दुगोली तहसील धोद जिला सीकर के आराजी खसरा सं. 389 में से प्रा.प.त्र धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधि. 1956 बाबत् रास्ता में निहित प्रावधानानुसार प्रस्तावित रास्ता को राजस्व अभिलेख में दर्ज हेतु प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने बाबत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रकरण को अन्तर्गत धारा 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रकरण के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में ग्राम दुगोली पटवार हल्का दुगोली तहसील धोद जिला सीकर के आराजी खसरा सं. 389 के समस्त खातेदारान के संबंध में मुताबिक पटवार हल्का रिपोर्ट के उक्त खसरा नम्बर में खातेदारान सहमत नहीं होने बाबत रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अतः प्रस्तावित रास्ते के संबंध में कोई आपत्ति / अपना पक्ष / साक्ष्य / दस्तावेजात आदि पेश करना हो तो, इस बाबत वर्णित खसरा सं. खसरा सं. 389 वाके ग्राम दुगोली के समस्त खातेदारान इन्द्रसिंह, झाबरमल, रामुराम पुत्रगण दानाराम, कमल किशोर, हरीराम नेहरा पुत्रगण मदनलाल, भागोती देवी पत्नी इन्द्राम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दुगोली तहसील धोद जिला सीकर को जरिये रजिस्टर्ड डाक / तहसीलदार से वास्ते तामील नोटिसेस जारी होकर पत्रावली दिनांक 20.08.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर
20/8/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 26/9/25 को पेश हो।
26/9/25	पत्रावली पेश हुई [illegible] को जारी नोटिस की रजिस्टर्ड [illegible] प्राप्त/प्राप्त के अनुसार समस्त आपत्तिकर्ता (खसरा नं. 389 वाके ग्राम दुगोली के खातेदारान) पर विधिवत तामील [illegible] हुई है उक्त [illegible] प्रस्तावित रास्ते पर [illegible] कार्यवाही [illegible] पत्रावली वास्ते बहस / अवलोकन दिनांक 29/9/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट ★ जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:18:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार धोद बनाम इन्द्रसिंह आदि

किस्म मुकदमा [illegible] 136, 137 [illegible] पु.नं. 298 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
29/9/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण इन्द्रसिंह आदि अनुपस्थित। पूर्व में उक्त बावजूद रजिस्टर्ड डाक से तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। समग्र पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट–04 दिनांकः 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6/ 2021/पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर, दिनांकः 06.09.2024 की पालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1407 दिनांक 16.07.2025 के द्वारा आवागमन में सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम दुगोली पटवार मण्डल दुगोली भू.अ.नि. वृत नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 389 में प्रचलित रास्ता का राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व अभिलेख एवं नजरी नक्शा रिपोर्ट पत्रादि के साथ प्राप्त हुआ है। सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रस्ताव में पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रचलित रास्ता मौके पर चालू है तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रूप से काम में आ रही है। उक्त खसरा सं. 389 में खातेदार सहमत नहीं है। प्रस्तावित/प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दिखाया गया है। उक्त प्रस्ताव में भू.अभिलेख निरीक्षक वृत धोद की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सार्वजनिक रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। रास्ता हेतु रिकॉर्ड में अमल किये जाने बाबत प्रस्तावित है तथा मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम दुगोली पटवार मण्डल दुगोली भू.अ.नि. वृत नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 389 में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में से दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की है। सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रस्तावित रास्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव मय दस्तावेजात से जाहिर है कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट–04 दिनांकः 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर, दिनांकः 06.09.2024 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाकर ही हस्तगत रास्ता [illegible] प्राप्त उक्त रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी न[illegible] के [illegible]नुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट [illegible] मौके पर चालू है। नजरी नक्शा में भी मौके पर वर्तमा[illegible] रास्ता चालू होना बताया है। प्रस्ताव के संबंध में खसरा सं. 389 के समस्त खातेदारान को पूर्व में नोटिस जारी किय[illegible] चुके थे, जिन पर तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से पूर्ण हो चुकी है, जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:18:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला–सीकर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार, धोद .... बनाम .... इन्द्राज आदि

मु.नं. 298 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा .... ग्राम दुगोली धारा 131, 132 एलआरएक्ट

क्रमांक / रीडर

तहसीलदार धोद, जिला

आज्ञा – पत्र

दिनांक	
	अनुपस्थित रहे है। समग्र रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 132 के तहत रास्ता प्रस्तावित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आमजन व खातेदारों को पूर्व से प्रचलित रास्तों को गै.मु. दर्ज किया जाकर खातेदारान को राहत प्रदान करने की मंशा रखती है। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ. / 2025 / 1407 दिनांक 16.07.2025 के द्वारा प्रस्तुत अभिशंषित रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।
	अतः राज्य सरकार के खातेदारान को रास्ते के संबंध में दिये गये आदेशों व निर्देशों के मध्यनजर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ. / 2025 / 1407 दिनांक 16.07.2025 के द्वारा अभिशंषित संलग्न रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम ग्राम दुगोली पटवार मण्डल दुगोली भू.अ.नि. वृत नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 389 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि (प्रस्ताव में अंकित रकबे के अनुसार) रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावें एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। गै.मु. रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान् के खाते में ही बनी रहेगी। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ. / 2025 / 1407 दिनांक 16.07.2025 से प्राप्त हस्तगत रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को लिखा जावें।
	आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	Signature Not Verified Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra Date: 2025.10.08 16:18:22 IST Reason: SelfAttested
	उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद (जिला सीकर (राज.))

Scanned with OKEN Scanner